तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हंसाराम बनाम साधुराम प्रार्थना पत्र संख्याः–34 / 2017(जीसीएमएस नम्बर 2017 / 00103)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। उन्हे आवाज दिलवाई गई फिर भी अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में पुनः रूक–रूककर कई बार आवाजें दिलवाई गई। उसके उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2017 से रेस्पोडेन्ट की तलबी में ही विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 02.11.2017 की पालना में अभी तक रेस्पोडेन्ट के रजिस्टर्ड नोटिस भी बार–बार अवसर देने के उपरान्त भी पेश नही किये गये और आज प्रार्थी की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष कोई उपस्थित भी नही है जिससे विदित होता है कि प्रार्थी प्रकरण को आगे चलाये रखे जाने के इच्छुक नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी या अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 02.11.2017 की पालना नही किये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी को खारिज किया जाना न्यायोचित होगा अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी या अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 02.11.2017 की पालना नही किये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ0 प्रवीण कुमार) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	